Govt. of National Capital Territory of Delhi Office of the Commissioner Food Supplies and Consumer Affairs K-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi – 110002 (Coordination Branch)

e-mail:-fsocoordination@gmail.com

File No. F.3 (19)/DLA/Coord/F&S/2022/04-0

Date: - 25.03.2022

To.

The Dy. Secretary (Question Branch), Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi-54

Sub: - Delhi Legislative Assembly Unstarred Question No. 118 asked by Shri Ajay Mahavar, MLA due for answer on 28/03/2022.

Sir,

With Reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Rajesh Ahuja) Asstt. Commissioner, F&S

Date: 25-03.2022

File No. F.3 (19)/DLA/Coord/F&S/2022/04-0

Copy for information:

Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred question of distribution of the House.

विभाग का नाम:- खाद्य एवं आपूर्ति

विभाग का पता:- के-ब्लॉक विकास भवन, आईपी इस्टेट नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या: 118

दिनांक: 28.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री अजय महावर क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:

प्रश्न		उत्तर
(3)	दिल्ली में कुल कितने राशनकार्ड धारक हैं और उनमे से घोंडा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने राशनकार्ड धारक है;	फरवरी, 2022 के आवंटन के अनुसार, राशन कार्डों की कुल संख्या 17,80,205 है और इसमें से घोंडा विधान सभा में 30,817 राशन कार्ड धारक हैं
(%)	दिल्ली और घोंडा विधानसभा में कब से नये राशनकार्ड नही बन रहे हैं; और	दिल्ली में लाभार्थियों कि संख्या 7277995 जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है । कार्ड जारी करना/ लाभार्थियों का नाम जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है जो कि रिक्तियों कि उपलब्धता के
(31)	दिल्ली की गरीब जनता के लिए नए राशनकार्ड कब से पुनः बनने शुरू होंगे?	अनुसार निरंतर किया जाता है ।